

**SHRI G. G. SWELL :** Just over a month ago, Madam, there was a summit of the Non-aligned Movement in Jakarta, Indonesia. One of the decisions taken was to admit or re-admit Myanmar into the Non-aligned Movement. Now, respect for human rights is one of the basic principles of the Non-aligned Movement. In that context I do not understand how India was a party to the readmission of Myanmar. Myanmar has, perhaps, the most heinous record of violation of human rights. It has shown utter disregard to democratic norms.

In 1990, the National League for Democracy won by more than 82 per cent in the election to the Myanmar Parliament. But the Military junta did not respect this wish of the people. It never handed over power. On the other hand, it arrested all the leaders of the National League for Democracy, put them in jail. It treated its young people in a way that many of them were shot down in the streets of Rangoon and many left their country in exile either in Thailand or even in India.

Now we have this most disturbing news that the leader of the National League for Democracy, Madam Aung San Suu Kyi, the winner of the Nobel Prize for Peace, has decided to go on fast unto death. She is a noble lady. She has donated the entire income from the Nobel Peace Prize to the cause of the people of Burma. She did not have any more money to feed herself. She refused the largesse of the government and she has decided to go on a fast in order to compel the Government of Burma either to...*(Interruptions)*. It is difficult to speak....

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** It is because you are speaking out of turn. It is time for the Minister to make a statement.

**SHRI G. G. SWELL :** I know; I am finishing.

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** You have to finish because we have to do other business. We have to deal with other things which are more important.

**SHRI G. G. SWELL :** All that she wants is that the Government of Burma should

open a dialogue for the restoration of democracy and for handing over power to the elected representatives of the Government.

I would like to know as to where our Government stands. On the one hand you have expressed sympathy for democracy; on the other hand you admit Myanmar into the Non-aligned Movement. There is a section in our All India Radio, the Burmese Section, in which there are broadcasts of political commentaries by the daughter of former Prime Minister U Nu. We have stopped that also. I would like the Government to clarify where we stand. Are we for democracy? Are we for the people of Burma? Or are we with the military junta that is guilty of the most heinous violation of democratic and human rights?

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** Home Minister will make a statement.

#### STATEMENT BY MINISTER

**General situation at Ayodhya in the context of the Proposed Karsewa**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) :** The Hon'ble Members will recall the Prime Minister's statement made in both the Houses on 27 July 1992 regarding the Ram Janma Bhoomi—Babri Masjid dispute. In accordance with the statement, the process of negotiations for finding an amicable settlement of the RJB-BM issue was re-commenced. The Prime Minister held wide ranging consultations with individuals and groups concerned with the dispute. Finally, the process of formal negotiations between the representatives of the Vishwa Hindu Parishad (VHP) and the All India Babri Masjid Action Committee (AIBMAC) was commenced with the first meeting being held on 3 October 1992. The second meeting was held on 16 October 1992 and the third on 8 November 1992. However, even though the date of the third meeting had been announced well before it was held, an announcement was made on behalf of the VHP and allied organisations that the Kar Sewa would be resumed from 6 December 1992. This seriously jeopardised the resumed process of negotiations.

[SHRI M. M. JACOB]

After the announcement for resumption of Kar Sewa, there were reports about hectic and extensive preparations being made for the same. With a view to defusing the serious situation, a meeting of the National Integration Council was convened on 23 November 1992. The Council resolved that "after considering all aspects of the Babri Masjid—Ram Janma Bhoomi dispute and the report of the Government, the Council extends its wholehearted support and cooperation in whatever step the Prime Minister considers essential in upholding the Constitution and the rule of law, and in implementing the Court's orders." Unfortunately both the BJP and VHP abstained from the meeting.

In the contempt related proceedings before the Hon'ble Supreme Court, on 20 November 1992, the Court directed that the Union Government should indicate its stand in the matter so that the Honourable Court may have its assistance in making such an order as would ensure enforcement of earlier orders of the Honourable Court. Accordingly, on 23 November 1992, the Solicitor General, *inter alia*, made the following submissions before the Honourable Supreme Court :—

- (a) In view of the wide ramifications of the Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid issue, the Government of India is prepared to give to the State Government whatever assistance is required in furtherance of the directions of the Honourable Court; and
- (b) The Government of India also assures the Honourable Court that the Government will take such action as may be directed by the Honourable Court to secure the enforcement of its order.

The Government of India issued instructions on 24 November 1992 for movement of Central para-military forces to suitable locations in Uttar Pradesh. The Government of Uttar Pradesh was informed on 24 November 1992 itself that these forces are being moved for being stationed at suitable locations in Uttar Pradesh so as to be available at a short notice if and when required by the State Government for deployment

in connection with security of Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid structure and maintenance of law and order, in view of the call given by various organisations for commencement of Kar Sewa in Ayodhya.

During the proceedings on 23 November 1992, the Court had directed that the State of Uttar Pradesh should spell out what convincing assurance it could hold out to prevent the threatened violation of Court orders. However, on 25 November 1992, the State of Uttar Pradesh submitted an affidavit, *inter alia*, asking for at least a week's time to have negotiations with the leaders of VHP and Dharma Sansad. The Court granted time only until 27 November 1992 and, *inter alia*, made it clear that if the Government of Uttar Pradesh does not come up with a convincing stand that will reassure the Court that no violation of its orders will be permitted, it might have to consider grant of the relief prayed for, the appointment of a Receiver or directions to the Central Government to ensure obedience to the Court orders. Among other things, the Court also took note of the assurance of the Counsel for the State of Uttar Pradesh that the State Government will seek to persuade the religious groups to postpone the Kar Sewa.

On 27 November 1992, the State Government filed an affidavit reiterating its responsibility to prevent violation of the Court order and indicating the positive response received in the negotiation with various parties connected with the proposed Kar Sewa. It was also stated that the State Government was now confident that there will be no violation of the Court order and that Kar Sewa will be undertaken without violating the Court orders. The Supreme Court was also requested by the State of Uttar Pradesh to order most expeditious disposal of the land acquisition case pending before the Lucknow Bench of the Allahabad High Court. The Court adjourned the case to 28 November 1992 and instructed the State Government's counsel to file an affidavit giving, *inter alia*, an assurance that no construction material or machinery will be allowed into the site and no permanent or temporary structure in violation of the Court orders would be erected.

In its affidavit of 27 November 1992, the State Government also reiterated that it is fully committed to safeguard and protect the disputed Ram Janma Bhoomi structure in Ayodhya. The affidavit further stated that the State Government has been frequently reviewing security arrangements of the disputed structure and has been taking all necessary steps to ensure its safety. It added that entry to the disputed structure is carefully controlled, every person is checked before entry, metal detectors and close circuit TV are in operation and road-barriers are also used for controlling the crowd whenever necessary. It was also stated that the State Government has decided to deploy additional 15 coys of PAC and additional police force for the security of the structure and for maintaining law and order.

On 28 November 1992, an affidavit and an undertaking were filed on behalf of the State Government to the effect that the State Government will ensure that no construction machinery or construction material will move into the acquired land and that no construction activity will take place or will be carried out as long as the High Court's interim orders are in force in the writ petition pending before it relating to the land acquisition. The State Government, during the course of submissions in the hearing also expressed its readiness and willingness to ensure, inter alia, that in the name of Kar Sewa no constructional activity either temporary or permanent, would take place or be allowed to take place on the acquired land. The State Government further submitted that Kar Sewa would be a symbolic occasion for carrying on certain religious activities and will not be allowed to be exploited for any constructional activities, symbolic or otherwise.

- The Hon'ble Supreme Court in its order of 23 November 1992 took note of the emphatic assurance and undertaking

given by the State Government and abstained from granting the prayer sought in the interim application for the appointment of a Receiver, keeping the application pending. The Hon'ble Court decided to appoint a Judicial Officer as an observer for a period of 2 weeks in the first instance to observe and monitor the situation and submit a report to it whenever in his opinion, developments tending to be detrimental to the effectuation of the Court's order take place. A Judicial Officer has since been appointed for this purpose and has started functioning.

In regard to the request of the State Government for an expeditious decision by the Lucknow Bench of the Allahabad High Court in the writ petitions relating to land acquisition, the Hon'ble Supreme Court agreed to request the High Court to consider the expectations of the parties and the requirements of justice and bestow on it such thought as it might consider proper.

The matter came up before the Hon'ble Supreme Court again on 30 November and 1 December, 1992. In its order of 1 December, 1992, the Hon'ble Supreme Court directed the State Government as also the Central Government to give due publicity to the fact that the proposed Kar Sewa would not involve any construction activity or moving of any building material into the acquired land, with a view to informing all those concerned about the limitations of the purpose of the gathering, if any, at the place. During the proceedings, the Hon'ble Court also took note of certain deficiencies brought to its notice regarding the security arrangements for the Ram Janma Bhoomi-Babri Masjid structure. The Hon'ble Court felt that these may be brought to the notice of the State Government, which should give its constructive

[SHRI M. M. JACOB]

consideration to this matter. Accordingly, a note relating to the deficiencies in the security of the disputed structure was handed over to the State Government Counsel by the Attorney General. I have also written to the Chief Minister of Uttar Pradesh at some length on this subject again on 1 December 1992.

Available reports indicate that the flow of Kar Sevaks into Ayodhya is continuing and by 2 December 1992, nearly 40,000 Kar Sevaks had reached Ayodhya. Elaborate preparations have reportedly been made by the organisers of the kar seva for the purpose. The Counsel for the Government of Uttar Pradesh had informed the Hon'ble Supreme Court that BJP leaders were fanning out to different places with a view to informing the kar sevaks that there will be no constructional activity during the kar seva and it will be confined to religious functions. However, there are reports to indicate that some leaders associated with the proposed kar seva are asserting their intentions to undertake constructional activities during kar seva.

I hope the Government of Uttar Pradesh will abide by its assurances given to the Hon'ble Supreme Court in letter and spirit. Hon'ble Members will agree that the matter is now at a very delicate stage and should be left to be dealt with appropriately.

The contempt petition and other related matters will come up again before the Hon'ble Supreme Court on 4 December 1992.

I am sure all political parties, organisations and groups will extend their whole-hearted support in defusing the situation, strengthening the forces of democracy and secularism, and upholding the respect for judiciary and rule of law.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, before I call the...

DR. BAPU KALDATE (Maharashtra) : It was there in the press,

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : So, is it not factual ?

DR. BAPU KALDATE : That is what we have read in the press.

... (Interruptions) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order, please. Before I ask Mr. Sikander Bakht to seek his clarifications, I would like to announce that a Constitution Amendment Bill with regard to Tripura is pending. It has been reported at 2.30 p.m., and at 4.0'clock we will take it up. The decision was taken by the leaders at the BAC meeting. It will be passed only by voice vote—no discussion would be there. Now, Shri Sikander Bakht.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : सदर साहिबा, आ का बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बात शुरू क्लेरिफिकेशन से की है। मेरी अंडरस्टैंडिंग यह थी कि मुझे इस विषय पर अपने ख्यालात जाहिर करने होंगे।

श्री सिकन्दर बख्त : صدر صاحبہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن آپ نے بات شروع کلیئر فیکیشن سے کی ہے۔ میری انڈر اسٹینڈنگ یہ تھی کہ مجھے اس دوشے پر اپنے خیالات ظاہر کرنے ہوں گے۔

**उप-समापति :** श्री सिकन्दर बल्लू साहब मैं अपना काम जो मेरा अनाउन्समेंट है ..

—I can't deviate from that. So I have announced. But whatever understanding is there, it is there.

श्री सिकन्दर बल्लू : जब आवाजें कफी मिल जाती हैं तो अक्सर यह होता है कि किसी भी मसले की अमल सूरत उसकी असल तारीखी सूरत कुछ नारों से ओझल हो जाती है। आनरेबल मेम्बर्स ने इस संबंध में जो सूरत पेश की है वह एक सूरत हो सकती है इस मसले की। एक सूरत तारीखी हो सकती जिसके है तितके मुतलिक कुछ एतराज की बात यह की गई कि वर्तमान की बात करिए, तारीखी में जाने से हासिल क्या है। मेरी गुजरिश यह है कि वर्तमान पैदा ही तारीखी से होता है और तीसरी सूरत वह है कि मौजूदा विवाद दरअसल बना है। कहां से बना कैसे बना है। सदर साहिब आबडाणी जी ने कार सेवा के संबंध में भजन कीर्तन को छोड़कर ईट-गारे की बात भी की। और इससे काफी ताराजगी का ईजहार हुआ। थोड़ा सा अफसोस मुझे इस बात से होता है कि उन्होंने एक बात और भी कही थी कि कार सेवा की सूरत 4 तारीख को जो मार्गार्थिक मंडल है, उसमें फौसला किया जायगा। उस फौसले के बाद कार सेवा की असली सूरत पैदा होगी। एक और बात भी जो बहुत ही ताजुक बात कही थी उसका कि इसमें होता तो मुझे यह महसूस होता कि हम हर लफ् जो किसी को जवान से निकलता है उसका पूरा एप्रिसिएशन हमारे यहां मौजूद है। उन्होंने जिस मीटिंग में ईट-गारे की बात कही थी उस मीटिंग में इस बात की भी जिद की थी। कि कोई कार सेवक इस किस्म की बात नहीं करेगा जो किसी भी फिकरे या तबके के मिजाज के खिलाफ हो। उन्होंने खासतौर से मुसलमानों का नाम लिया था। बहरहाल, एक नारिया है कि आबडाणी जी के बजान

से जी शिकायत पैदा हुई कि कानून तौड़ा गया, अदालत के एकमादात की खिलाफवर्जी हुई और कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एतराम नहीं हुआ है। मैं एक गुजरिश करना चाहता हूं कि इल हाबाद हाई कोर्ट भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुकर्रर आबजूरवर भी मौजूद है, सरकार भी अपने पूरे अख्तियार के साथ मौजूद है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी मौजूद है, अगर किसी के ख्याल में किसी जगह कानून की खिलाफवर्जी हुई है तो इतने सारे इशारे उस कानून की खिलाफवर्जी का नोटिस लेंगे। ये सारे इशारे जो कानून की खिलाफवर्जी करेगा उसको सजा देंगे अह-कामात कहां-कहां से सादिर होने चाहिए? मुझे भ्रमा करेंगे हमारे मोअतरिम हजरात जो इस सदन के मेम्बर हैं, लबोलहजे में हुक्म की ध्वनि आती है। एकमादात हम किस-किस से सुनें। हमसे कोई बात कहे जिसका लबोलहजे में कुछ तो जवाब देने के लिए हम अमादा हैं। अभी होम मिनिस्टर साहब का अयान आया। अब मैं किन लफजों को लू जिनके बारे में होम मिनिस्टर साहब ने कहा है। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को हमने सेंट्रल रिजर्व फोर्स को वहां भेजा और उसी वक्त इस्तिफा कर दी। इसको दो चीजों की रोजनी में देखा जाये। कॉन्फ्रंटेशन की बात कही गई है और इसका इल्जाम बार-बार लगा है। ऐसा मालूम होता है कि अन्फाज की मोनोपली कुछ खास लोगों के लिए है।

पहले तो मैं अर्ज करूंगा। जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने तारीख की बात कही जो बहुत दुरुस्त नहीं है। गलतबयानी या असत्य की बात तो मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन 19 तारीख को दो कम्पनियां रिजर्व सेंट्रल फोर्स के लोग वहां पहुंच गये थे लखनऊ में। 20 तारीख को रेपिड एक्शन फोर्स की बटालियन 108 वहां

[श्री लिफ्टनन्ट बख्त]

पहुंच गई और पहुंच नहीं नहीं गये बल्कि कैम्पिंग और लेगलिंग के जो तमाम एरेंजमेंट होने चाहिए जैसे पानी वगैरह का बन्दोबस्त शुरू कर दिया गया। 22 तारीख को चार बसें और चार ट्रक वहां पहुंच गये। 23 तारीख को 48 बटालियन की दो कम्पनियां वहां पहुंच गईं। पहुंच गई कहना गलत होगा, उनकी मूवमेंट यहां दिल्ली से हो गई और इसके साथ ही 116 बटालियन की तीन कम्पनियों की मूवमेंट दिल्ली से शुरू हो गई। 24 तारीख की रात को इत्तिला यू. पी. गवर्नमेंट को फैंस के जरिये से दी गई, जिसमें यह काबिले तवज्जह है, गौर फरमाइये कि :

"So as to be available at a short notice if and when required by the State Government."

स्टेट गवर्नमेंट ने न तो इनको वहां भेजने की खाहिश की। स्टेट गवर्नमेंट को इनकी कब जरूरत पड़ेगी इसका फैसला तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी लेकिन आपने पहले से मेहरबानी करने की तकलीफ की है कि स्टेट गवर्नमेंट को इनकी जरूरत पड़ेगी, इस लिए इनको पहले से पहुंचा दिया जाए। उसके अलावा अब तक भी जो कार्यवाही हो रही है वह स्टेट गवर्नमेंट को ओवरलुक करके हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी नजरदाज किया जा रहा है। यहां तक जो आबजर्वर सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा किया गया था, उसकी तरफ किसी किसम की तवज्जह नहीं है। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा सदर साहिब, कि यह आर्टिकल 257 जो है, इस आर्टिकल के जरिये से केन्द्रीय सरकार को यह हक हासिल था कि वह जब चाहे किसी भी स्टेट से सेन्ट्रल टूप्स भेजे। इसमें तबदीली आई और यह आर्टिकल रिपील हुआ। इस आर्टिकल के संबंध में जो उस वक्त कानून से ताल्लुक रखने वाले वजीर थे उनका बयान था कि :

"Article 257A which contemplates the Centre having power to send Armed

Forces from the Union in a State without the consent of the State was also a feature which was interfering with proper Central relations. So, that is also sought to be deleted."

And it was deleted. And we have the present form of Article 257.

"In the Constitution please read : "257A. [Assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union] repealed by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978." etc. etc.

न तो इनको भेजा जाना कानूनी था, कांस्टिट्यूशनली, हम सब लोग बहुत शौक से कांस्टिट्यूशन की अवहेलना का जिक्र करते हैं, समय-समय पर करते हैं। कौन कांस्टिट्यूशन की अवहेलना कर रहा है? कौन कानून की अवहेलना कर रहा है? कौन उत्तर प्रदेश में अयोध्या में कन्फर्टेशन की सुरत पैदा कर रहा है? कौन वहां टेंशन पैदा कर रहा है? मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर इस की तरफ तवज्जह फरमायें और बतायें सभी को कि आखिर इन टूप्स को भेजने का मकसद क्या था? मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा, कि होम मिनिस्टर साहब के मौजूदा बयान में यह कहा गया है कि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का नोटिस लिया तो 21 को आबजर्वर भेजने का फैसला वगैरह वगैरह, क्या इंतजामी तरीका होना चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से एश्योरेस लेना चाहिए वगैरह वगैरह, तो उनको 24 तारीख से ले क्यों भेज दिया?

(व्यवधान)

मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो कुछ मैंने सुना है कि हम लोग कानून की अवहेलना कर रहे हैं, कांस्टिट्यूशन की अवहेलना हो गयी, रूल ऑफ ला का क्या होगा, तो कौन से कानून कायदे के मुताबिक इनको भेजा गया? क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कांसेंट ली है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ कहने के पहले इनको खाना

कर दिया गया। इस ब्यान में जो बात कही गयी है, 24 तारीख के बारे में, मैंने 19, 20, 21, 22 तारीखों का भी जिक्र किया। ..... (व्यवधान) ..... आप अगर खामोश हों मेहरबानी करके तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वाक्यात रखूंगा आप के सामने।

तो मेरा पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस 28 तारीख को लिया। 24 तारीख के पहले पहले आपको क्या परेशानियाँ शुरू हो गयी थीं। मैं आगे चल कर के इसका जिक्र करूंगा क्योंकि यहां यह भी कहा गया है कोर्ट के मामले में कि एमीकेबल सेटलमेंट के संबंध में 6 तारीख को कार सेवा का जो एलान किया गया है उससे एमीकेबल सेटलमेंट के रास्ते में रुकावटें पैदा हो गईं। (व्यवधान)

डा० अब्दुल अहमद (राजस्थान) : मैडम, चार बजे तक यही बोलेंगे क्या ?

उप-सभापति : नहीं, जितना बोल रहे हैं बोलने दीजिये।

श्री सिकन्दर बख्त : पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि 6 तारीख का एलान उस टाइम से पहले या उस टाइम के बाद है जो वक्त प्रधान मंत्री जी ने एमीकेबल सेटलमेंट के लिए मांगा था ? अगर 6 दिसम्बर का समय उन चार महीनों से आगे है, अब्बल तो तीन महीने और चार महीने का सिज-सिल मुझे समझ में नहीं आया कि कब तीन महीने हुए और कब चार महीने हुए, मगर मैं चार ही महीनों को लेता हूँ कि चार महीने के बाद की तारीख है तो उसमें रुकावट का क्या सवाल था। अगर 6 दिसम्बर का एलान साधु संतों ने किया और वह एमीकेबल सेटलमेंट के रास्ते में रुकावट बना तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि एमीकेबल सेटलमेंट का फैसला प्रधान मंत्री जी ने 27 जुलाई को किया था। 15 अगस्त को

लाल किले की फसीलों से उन्होंने इस सिल-सिले में अपना फैसला ही सुना दिया था। तो एमीकेबल सेटलमेंट की बात का क्या मकसद हुआ ? क्या साधु संतों ने जब 6 दिसम्बर की तारीख का एलान किया उस वक्त एमीकेबल सेटलमेंट के रास्ते में रुकावट पड़ी या 15 अगस्त को जो लाल किले की फसीलों से प्रधान मंत्री जी का एलान हो गया था वही रुकावट बन कर खड़ा हो गया था किसी एमीकेबल सेटलमेंट के रास्ते में ? (व्यवधान) वह एलान तो बड़ा सीधा है। उन्होंने एलान कर दिया था कि मन्दिर अपनी जगह बनेगा और मस्जिद अपनी जगह रहेगी। इसी किस्म का कुछ एलान था लेकिन उनको इस संबंध में अपना फैसला नहीं सुनाना चाहिए था, मैं यह कहना चाहता हूँ। (व्यवधान)

SHRI SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh) Don't you agree with the announcement of the Prime Minister ?

क्या आप इससे सहमत नहीं हैं कि मन्दिर अपनी जगह बनेगा और मस्जिद सुरक्षित रहेगी ? आप इससे सहमत नहीं है तो कह दीजिये, बात साफ हो जाए।

श्री सिकन्दर बख्त : मेरा उस फैसले की नुकात से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कहना यह है कि जब 27 जुलाई को एलान किया था उस संबंध में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए था। आप जो कहते हैं कि मन्दिर वहां बनेगा या नहीं बनेगा, मस्जिद वहां रहेगी या नहीं रहेगी, उसका जवाब मैं दूँ, मैं पूछना चाहता हूँ 6 दिसम्बर का जो कुछ भी साधुओं ने कहा था क्या उससे मन्दिर में या मस्जिद में रुकावट बन रही थी। (व्यवधान)

डा० श्रवणर अहमद : पिछले सेशन में बताया कि कन्दर बख्त साहब ने इसी सदन में नहीं कहा था कि वह मस्जिद कहिये या स्ट्रक्चर कहिये, उसको हम नहीं छूएंगे वह ऐसी ही बनी रहेगी। इसके अलावा मन्दिर बनेगा।

श्री तिरुन्दर ब्रह्मन् : मैं अब क्या कहूँ। अब आपको मुझ से यह सवाल करने की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे किसी बयान की तरदीब होती हो तो फरमाएं, मैं जवाब दूंगा। मेरा खयाल है कि आप असल बात से जागे जा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि जिस कनफ्रेंशन का इत्फाम भारतीय जनता पार्टी पर अंगता रहा है और कफी आषाञ्च उस सिलसिले में उठती रहीं हैं, मुझे अफसोस यह है कि कनफ्रेंशन का काम मरकजी सरकार, सेटल गवर्मेन्ट ने शुरू कर रखा है मुसलसल। (व्यवधान) सदर सहैबा, इसमें तो कोई शक ही नहीं समझिये आप। अब मैं कोर्ट के आर्डर के बारे में बात करना चाहता हूँ। . . . . . (व्यवधान) ।

(समय की घंटी) ।

شری سکندر تخت : جب آوازیں کافی مل جاتی ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کی اصل صورت اس کی اصل تاریخی صورت، کچھ نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی ہے۔ آئزہیل ممبرس نے اس سببندہ میں جو صورت پیش کی ہے وہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کی۔

ایک صورت تار بخوبی ہو سکتی ہے۔ جس کے متعلق کچھ اعتراض کی بات یہ کی گئی کہ در تان کی بات کرئیے تار بخوبی نہیں جانے سے حاصل کیا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ در تان پیدا ہی تار بخوبی سے ہو تا ہے اور تیسری صورت وہ ہے کہ موجودہ وواد دراصل بنا ہے۔ کہاں سے بنا ہے۔ کیسے بنا ہے۔ صدر صاحبہ۔ اڈوانی جی نے کار سیول کے سمجندھ میں بھجی کی ترن کو چھوڑ کر اینٹ سکارے کی بات کھی کی۔

اور اس سے کافی ناراضگی کا اظہار ہوا۔  
تھوڑا سا انکسوس مجھے اس بات سے ہوتا ہے  
کہ انہوں نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہ کارسیوا  
کی صورت ۴ تاریخ کو مارگ درشن منڈل  
جو ہے۔ اس میں فیملہ کیا جائے گا۔ اسکے فیملہ  
کے بعد کارسیوا کی اصلی صورت پیدا ہوگی ایک  
اور بات بھی جو بہت نازک بات کہی تھی اسکا  
ذکر اس میں ہوتا تو مجھے یہ محسوس ہوتا کہ ہم  
ہر لفظ جو کسی کی زبان سے نکلتا ہے اس کا  
پورا اپری سیشن ہمارے یہاں موجود ہے  
انہوں نے جس میٹنگ میں اینٹنگ مارے کی  
بات کہی تھی اس میٹنگ میں اس بات کی بھی  
ضد کی تھی کہ کوئی کارسیوا اس قسم کی بات  
نہیں کرے سکا جو کسی بھی فرقہ یا طبقہ کے مزاج  
کے خلاف ہو۔ انہوں نے خاص طور سے  
مسلمانوں کا نام لیا تھا۔ بہر حال ایک نظریہ ہے کہ



اڈوالٹی جی کے بیان سے جو شکایت پیدا ہوئی کہ قانون توڑا گیا۔ عدالت کے اقدامات کی خلاف ورزی ہوئی اور کانسٹیٹیوشن کا پورا احترام نہیں ہوا۔ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الہ آباد ہائیکورٹ بھی موجود ہے۔ سپریم کورٹ بھی موجود ہے۔ اور سپریم کورٹ دوا را مقرر آئندہ ور بھی موجود ہے۔ مرکزی سرکار بھی اپنے پورے اختیارات کے ساتھ موجود ہے۔ اتر پردیش کی سرکار بھی موجود ہے۔ اگر کسی کے خیال میں کسی جگہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اتنے سارے ادارے اس قانون کی خلاف ورزی کا نوٹس میں گئے۔ یہ سارے ادارے اس قانون کی خلاف ورزی کا نوٹس میں گئے۔ یہ سارے ادارے جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا دیں گے۔ احکامات کہاں کہاں سے صادر ہوئے چاہیں۔ مجھے اکثراً کریں گے ہمارے محترم حضرات جو اس سदन کے ممبر ہیں لب و لہجے میں حکم دھونی آتی ہے۔ اقدامات ہم کس کس سے سنیں۔ ہم سے کوئی بات کہے جس کا لب و لہجے میں کچھ تو جواب دیے کے یہ ہم آمادہ ہیں۔ ابھی ہوم منسٹر صاحب کا بیان آیا۔ اب میں کن لفظوں کو نوں جن کے بارے میں ہوم منسٹر صاحب نے کہا ہے۔ ۱۔ اہوں نے کہا کہ ۲۴ تاریخ کو ہم نے سینٹرل فورس کو دہاں بھیجا اور

اسی وقت اطلاع کر دی۔ اس کو دو چیزوں کی روشنی میں دیکھا جائے۔ کنفرینٹیشن کی بات کہی گئی اور اس کا الزام بار بار لگا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کی مونو ہوئی کچھ خاص لوگوں کیلئے ہے۔ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ جیسا کہ ہوم منسٹر صاحب نے تاریخ کی بات کہی جو بہت درست نہیں ہے۔ غلط بیانی یا اسٹیج کی بات تو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن ۱۹ تاریخ کو دو کمپناں نزد سینٹرل فورس کے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ لکھنؤ میں۔ ۲۰ تاریخ کو ریپڈ ایکشن فورس کی ۱۰۸ ٹالین وہاں پہنچ گئے۔ اور پہنچ ہی نہیں گئے۔ بلکہ گیمپنگ اور لیوننگ کے جو تمام اترجنٹ ہونے چاہیے جیسے بانی وغیرہ کا بندوبست شروع کر دیا گیا۔ ۲۲ تاریخ کو چار بسیں اور چار ٹرک وہاں پہنچ گئے۔ ۲۳ تاریخ کو ۴۸ ٹالین کی دو کمپناں وہاں پہنچ گئیں۔ پہنچ گئیں کہنا غلط ہو گا انکی موومنٹ وہاں دلی سے ہو گئی اور اس کے ساتھ سی ۱۱۶ ٹالین کی تین کمپنیوں کو موومنٹ دلی سے شروع ہو گئی ۲۴ تاریخ کی رات اطلاع۔ یو۔ پی۔ گورنمنٹ کو فیکس کے ذریعے دی گئی۔ جس میں یہ قابل توجہ ہے۔ غور فرمائیے کہ

"So as to be available at a short notice if and when required by the State Government."

[ ] Transliteration in Arabic Script.

اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ تو انکو وہاں بھیجنے کی خواہش کی۔ اسٹیٹ گورنمنٹ کو انکی کب ضرورت پڑے گی اس کا فیصلہ تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہی کرنا ہوگا۔ لیکن آپ نے پہلے سے مہربانی کرنے کی تکلیف کی ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو انکی ضرورت پڑے گی۔ اس لئے ان کو پہلے سے پہنچا دیا جائے۔ اس کے علاوہ اب تک بھی جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو اور رک کے ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ ججسٹریٹ کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو آئین رور سپریم کورٹ کا مقرر کیا گیا تھا اس کی طرف سے کسی قسم کی توجہ نہیں مل رہی ہے۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ صدر صاحبہ۔ کہ یہ آرٹیکل ۲۵۷ جو ہے۔ اس آرٹیکل کے ذریعے سے کینڈر نے سرکار کو یہ حق حاصل کیا کہ وہ جب چاہے کسی بھی اسٹیٹ میں سینٹرل ٹروپس بھیجے۔ اس میں تبدیلی آئی اور یہ آرٹیکل رپیل ہوا۔ اس آرٹیکل کے سمبندھ میں جو اس وقت قانون سے تعلق رکھنے والے وزیر تھے۔ ان کا بیان یہ تھا کہ:-

"Article 257A which contemplates the Centre having power to send Armed Forces from the Union in a State without the consent of the State was also a feature which was interfering with proper Central relations. So, that is also sought to be deleted."

And it was deleted. And we have the present form of Article 257.

"In the Constitution please read Article 257A. [Assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union] repealed by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978." etc. etc.

نہ تو ان کو بھیجا جانا قانونی تھا۔ کانسٹیٹیوشنل ہم سب لوگ بہت شوق سے کانسٹیٹیوشن کی اوپیننگ کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں۔ کون کانسٹیٹیوشن کی اوپیننگ کر رہا ہے۔ کون قانون کی اوپیننگ کر رہا ہے۔ کون اتر پردیش میں ایوڈھیا میں کنفرینس کی صورت پیدا کر رہا ہے۔ کون وہاں سٹیشن پیدا کر رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہوم منسٹر اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ اور بتائیں سب کو کہ آخر ان ٹروپس کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ ہوم منسٹر صاحب کے موجودہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ۱۲ تاریخ کو سپریم کورٹ نے اس چیز کا نوٹس لیا تو ۲۱ کو آئین رور بھیجے۔ کا فیصلہ وغیرہ وغیرہ کیا انتظامی طریقہ ہونا چاہیے۔ کیا اتر پردیش گورنمنٹ سے ایڈمینیسٹریٹو لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو انکو ۲۴ تاریخ سے پہلے کیوں بھیج دیا۔... "مداخلت"...

میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے سنا ہے کہ ہم لوگ قانون کی اوپیننگ کر رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کی اوپیننگ ہوگئی۔ وول آف لاک کیا ہوگا۔ تو کون سے قانون

قاعدے کے مطابق انکو بھیجا گیا۔ کیا اتر پڑیں گورنمنٹ کی کانسینٹ لی ہے۔ سپریم کورٹ کے کچھ نمبے سے پہلے انکو روانہ کر دیا گیا۔ اس بیان میں جو بات کہی گئی ہے۔ ۲۲ تاریخ کے بارے میں۔ میں نے ۱۹-۲۰-۲۱-۲۲ تاریخوں کا بھی ذکر کیا ہے... ”مداخلت“... آپ اگر خاموش ہوں مہربانی کر کے تو میں آپ کا شکریہ ادا ہوں گا۔ میں کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں۔

نور محمد دافعات رکھوں گا آپ کے سامنے۔ نور ابو جیہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس مسئلے کا نوٹس ۲۸ تاریخ کو لیا۔ ۲۲ تاریخ کے پہلے پہلے آپ کو کیا پریشانیاں شروع ہو گئیں تھیں۔ میں آگے چل کر کے اس کا ذکر کروں گا۔ کیونکہ یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کورٹ کے معاملے میں کہ ایسی کیبل سیشنٹ کے سمبندھ میں ۶ تاریخ کو کار سیوا کا جو اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے ایک کیبل سیشنٹ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو گئیں ”مداخلت“ ڈاکٹر ابراہام احمد: میڈم چار بجے تک یہی ہو رہی ہے۔

اپ سبھا جی: نہیں۔ جتنا بول رہے ہیں۔ بولنے دیجئے۔

شری سکندر نخت: پہلے تو میں عرصہ کروں گا کہ ۶ تاریخ کا اعلان اس ٹائم سے پہلے یا اس ٹائم کے بعد ہے جو وقت پردھان منتری جی نے ایسی کیبل سیشنٹ کے لیے

مانگا تھا۔ اگر ۶ دسمبر کا سسے ان چار مہینوں سے آگے ہے۔ اول تو میں مہینے اور چار مہینے کا سلسلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کب تک مہینے ہوئے اور کب چار مہینے۔ مگر میں چار ہی مہینوں کو لیتا ہوں کہ چار مہینے کے بعد کی تاریخ ہے تو اس میں رکاوٹ کا کیا سوال تھا۔ اگر ۶ دسمبر کا اعلان سادھو سنتوں نے

کیا اور وہ ایسی کیبل سیشنٹ کے راستے میں رکاوٹ بنا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کیبل سیشنٹ کا فیصلہ پردھان منتری جی نے ۲۷ جولائی کو کیا تھا۔ ۱۵ اگست کو لال قلعہ کی فصیلوں سے انہوں نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ ہی سنا دیا تھا۔ نو ایسی کیبل سیشنٹ کی بات کیا مقصد ہوا۔ کیا سادھو سنتوں سے جب ۶ دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا اس وقت ایسی کیبل سیشنٹ کے راستے میں رکاوٹ پڑی یا ۱۵ اگست کو جو لال قلعہ کی فصیلوں سے پردھان منتری جی کا اعلان ہو گیا تھا وہی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کسی ایسی کیبل سیشنٹ کے راستے میں ”مداخلت“... وہ اعلان تو بڑا سیدھا ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ مندر ایسی جگہ بنے اور مسجد اپنی جگہ رہے گی۔ اسی قسم کا کچھ اعلان تھا لیکن انکو اس سمبندھ میں اپنا فیصلہ نہیں سنا چاہنا ہے تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔... ”مداخلت“...

SHRI SYED SIBTEY RAZI : Don't you agree with the announcement of the Prime Minister ?

کیا آپ اس سے بہت نہیں ہیں کہ مندر اپنی جگہ بنے گا اور مسجد سرکٹ رہے گی آپ اس سے بہت نہیں ہیں تو کہہ دیجئے۔ مات صاف ہو جائے۔

شری سکندر نخت : میرا اس فیصلے کی نکات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جب ۲ جولائی کو اعلان کیا تھا۔ اس سینیڈہ میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ مندر وہاں بنے گا یا نہیں بنے گا۔ مسجد وہاں رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس کا جواب میں دوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اداکبر کا جو کچھ بھی سادھوؤں نے کہا تھا۔ کیا اس سے مندر میں یا مسجد میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ ... "مداخلت" ...

ڈاکٹر ابرار احمد : پچھلے سیشن میں کیا سکندر نخت صاحب نے اسی سدن میں نہیں کہا تھا کہ وہ مسجد کیسے یا اسٹرکچر کیسے۔ اس کو ہم نہیں جھوٹیں گے۔ وہ ایسی ہی رہے گی۔ اس کے علاوہ مندر بنے گا۔

شری سکندر نخت : میں اب کیا کہوں۔ اب آپ کہہ مجھ سے یہ سوال کرنے کی ہمت کیوں پڑی۔ میرے کسی بیان میں تردید

ہوتی ہو تو فرمائیں۔ تو میں جواب دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اصل بات سے بھاگتے جا رہے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جس کنفرینس کا الزام بھارتیہ جنتا پارٹی پر رکھتا رہا ہے اور کافی آوازیں اس سلسلہ میں اٹھتی رہی ہیں۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ کنفرینس کا کام مرکزی سرکار سنٹرل گورنمنٹ نے شروع کر رکھا ہے۔ سلسلہ "مداخلت" صدر صاحبہ اس میں تو کوئی شک نہیں سمجھتے آپ اب میں کورٹ آرڈر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ "مداخلت" ... "گھنٹی" ...

श्री संघ प्रिय गोतम (उत्तर प्रदेश) :

जितना टाइम सब मिल कर लें उतना टाइम हमें मिले क्योंकि सभी हमारे खिलाफ बोलेंगे (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) :

महोदया सिकन्दरबख्त साहब यह बता दें कि जिसको हम बाबरी मस्जिद कहते हैं वह उनके नक्शे में है या नहीं है ? अगर नहीं है तो कोई सवाल नहीं है। यह स्पष्ट कर दें मामला खत्म हो जाएगा। (व्यवधान)

कोई झगड़ा रहेगा नहीं। यह स्पष्ट कर दें कि उनके नक्शे में नहीं रहेगा, सारा मामला खत्म हो जाएगा। .... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रधानमंत्री ने (व्यवधान) सहमति के बिना क्यों कहा ... (व्यवधान) प्रधान मंत्री ऐसे बोल नहीं सकते थे .... (व्यवधान) मस्जिद डूब रहे हैं, मन्दिर डूब रहे हैं .... (व्यवधान)

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu) : He is the Leader of the Opposition. Let him give a categorical assurance in this House that the Babri Masjid will not be demolished and no

construction will be taken up in the disputed site. Let him give a categorical assurance as a responsible Leader of the Opposition... (Interruptions)...

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh) : You give an assurance that the temple will be built there. ... (Interruptions)...

श्री विष्णु कांत शास्त्री : (उत्तर प्रदेश) : यह तो समझीते की बात है... (व्यवधान) अभी से स्वीकार कर रहे हैं... (व्यवधान) समझीते में क्या होगा। बात कर रहे हैं अभी से... (व्यवधान) प्रधान मंत्री ने स्वयं हमें... (व्यवधान) आश्वासन दिया। अपना निर्णय दे करके... (व्यवधान) प्रधान मंत्री के समझीते के ऊपर तो नहीं जा सकते... (व्यवधान)

उपसभापति : सिकन्दर बख्त साहब, आप कितने मिनट और बोलेंगे। आप 20 मिनट बोल चुके हैं शायद। आप और अभी बोलेंगे... (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : कहां से छेड़ू फसाना, कहां से तमाम कहे... (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : کہاں سے  
چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں... مداخلت

श्री बिट्टलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

उपसभापति : एक मिनट :

श्री सिकन्दर बख्त : मुझसे तब प्रश्न पूछे जब मैं अपनी बात खत्म कर लूँ... (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : مجھ سے تب  
پرشن پوچھیں جب میں اپنی بات ختم  
کراؤں... مداخلت

उपसभापति : बैठिए, बैठिए। प्रश्न नहीं पूछिए।

श्री बिट्टलराव माधवराव जाधव : उन्होंने कहा कि न मन्दिर हटाएंगे न मस्जिद हटाएंगे... (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : मैं कोर्ट के बारे में सदर साहिबा यह कहना चाहता हूँ... (व्यवधान)

شہری سیکندر بخت : میں کورٹ  
کے بارے میں صدر صاحبہ یہ کہنا چاہتا  
ہوں...

श्री बिट्टलराव माधवराव जाधव : कंफ्रेंशन कौन कर रहा है। कंफ्रेंशन तो वे ही कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : बड़ी इनायत होगी तथरीफ रखें आप।

सदर साहिबा, मैं कोर्ट के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि कोर्ट से जो फ़ैसले आते हैं क्या कोर्ट के फ़ैसलों के सिलसिले में जो जुडीशियल एक्सपर्ट्स हैं वे दिन और रात दिये गये फ़ैसलों के खिलाफ़ लिखते हैं या नहीं। किताबें ही किताबें लिखी जाती हैं। क्या कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ़ आवाज उठाना ही गुनाह है और अगर गुनाह है तो मैं कुछ सवालाना करना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो शाहबानों के सिलसिले में कोर्ट का फ़ैसला आया तो उसको सरकम्वेंट करने के लिए सरकार ने क्या किया। कानून, अदालत, लेजिस्लेशन के जरिए से कोर्ट के असली फ़ैसले को गलत साबित कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इलाहाबाद के कोर्ट ने...

شہری سیکندر بخت : بڑی عنایت  
ہوگی تشریف رکھیں آپ۔

صدر صاحبہ میں کورٹ کے بارے  
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کورٹ سے جو  
فیصلے آتے ہیں کیا کورٹ کے فیصلوں کے  
سلسلے میں جو جو ٹریٹل ایکسپرٹس ہیں وہ دن



श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल:  
पहले मुन लीजिए ... (व्यवधान)

شری محمد افضل عرف م۔ افضل :  
پہلے من لیجئے "مداخلت"

उपसभापति : उनका जवाब देने दीजिए ।  
(व्यवधान) मुझे उन्हें जवाब देने दीजिए ।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :  
मैंम उन्होंने कुरान शरीफ की जो तदवीन की  
थी ..... (व्यवधान)

شری محمد افضل عرف م۔ افضل بمید  
انہوں نے قرآن شریف کی تدریس کی تھی ۔

उपसभापति : तब आपका समय आयेगा ..  
मैं आपको एक बात एक मिनट बोलू ..  
(व्यवधान) एकमिनट बैठिए यह जो मसला  
आप कह रहे हैं जब सिकन्दर बख्त साहब ने  
सवाल उठाए हैं तो आपका नाम मेरी लिस्ट पर  
है। जब आप बोलें तो आप अदर डील कर  
लीजिएगा। अगर इस तरह से उनके एक एक  
जुमले पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाएंगे तो

we will never be able to discuss it.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैं  
उस वक्त सिर्फ वजीरे दाखिला से सवाल  
कर सकता हूँ ।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل :  
میں اس وقت صرف وزیر داخلہ سے سوال  
کر سکتا ہوں ۔

उपसभापति : आप यह भी सवाल कर  
लीजिएगा ।

SHRI S. S. SURJEWALA (Haryana) :  
Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN : What  
is your point of order ?

SHRI S. S. SURJEWALA : My point  
of order is this. Mr. Sikander Bakht, while  
speaking, said that Supreme Court judge-  
ment could be criticised. But, Madam,  
only a final judgement can be criticised,  
not an interm order.

श्री सिकन्दर बख्त : एनीवे, वह तो मेरा  
एक दूसरा पहलू था कि सुप्रीम कोर्ट की  
जजमेंट का जिक्र होते ही लिखा जाता  
है। उन फैसलों के खिलाफ लिखा जाता  
है, किताबें लिखी जाती हैं, कालम्स लिखे  
जाते हैं।

मैं अगर मान लूं तो मैंने सुप्रीम कोर्ट  
का जिक्र किया—मैं शायद अफजल साहब  
की बात से इतिफाक कर लूं कि फैसला  
होना चाहिए था। लेकिन कुरान की तफसीर  
का हक नहीं हो सकता किसी कोर्ट को—  
खैर यह बात जाने दीजिए। मैं इतिफाक  
करता हूँ।

दूसरी बात, सदर साहिबा, इलाहाबाद  
कोर्ट का जजमेंट आया एक फार्मर प्राइम  
मिनिस्टर के खिलाफ। उस फैसले के रास्ते  
में रूकावट कैसे डाली गई कि हिन्दुस्तान  
की डेमोक्रेसी जो है, उसी का गला घोट  
दिया गया। हिन्दुस्तान इमरजेंसी के दौर  
में गुजरा।

मैं बहुत जल्दी-जल्दी मिसाल दे रहा हूँ।  
हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्तों ने कलकत्ता  
..... (व्यवधान)

شری سکندر بخت : این دے۔ وہ تو میرا  
ایک دوسرا پہلو تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ  
کا ذکر ہوتے ہی لکھا جاتا ہے۔ ان فیصلوں  
کے خلاف لکھا جاتا ہے۔ کتابیں لکھی جاتی  
ہیں۔ کالمس لکھے جاتے ہیں۔

[श्री सिकन्दर बख्त]

मैं अग्रमान लूँ। तब मैंने प्रेस कोर्ट  
का ذکر किया। मैं शायद افضل صاحب की बात  
से اتفاق करूँ कि फिصل होना चाहिये था। लेकिन  
قرآن की तفسیر کا حق نہیں ہو سکتا ہے۔ کوٹ  
کو خیر وہ بات جانے دیجئے۔ میں اتفاق کرتا ہوں۔  
دوسری بات۔ صدر صاحبہ۔ الہ آباد کوर्ट  
کا ججمنٹ کیا ایک فارم پر ائم منسٹر کے خلاف۔  
اس فیصلے کے راستے میں رکاوٹ کیسے ڈالی  
گئی کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی جو ہے اسی  
کا ٹھکانا گھونٹ دیا گیا۔ ہندوستان ایمر جنسی کے  
دور سے گذر رہا۔

میں بہت بہت جلدی جلدی مثال دے  
رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سارے دستوں  
نے کلکتہ... "مداخلت"...

एक माननीय सदस्य : महोदया, यह सब  
गलत बातें हैं ।

श्री एन० के० पी० साहवे : (महाराष्ट्र)  
महोदया, अगर आप एक-दो मिनट की  
इजाजत दें... (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : मेरा ख्याल है कि  
सुप्रीम कोर्ट की सैक्रेटरी को... (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ  
کی سیکریٹری کو... "مداخلت"...

उपसभापति : साहवे साहब आप कुछ  
कह रहे थे ।... (व्यवधान)

SHRI N.K.P. SALVE : Madam, what I was wanting to submit was it is undoubted that any order, interlocutory, interim or final, of a court can be criticised. This is undoubtedly the position. But it can never be propagated that the implementation should not take place. That is a contempt. Implementation of the court's order is sacrosanct and to the extent the Constitution amendment sought to supersede the judgement of the Allahabad High Court, it was struck down by the Supreme Court.

SHRI P. SHIV SHANKER (Gujarat) : Madam, may I just make one submission? There is a certain misconception which my hon. friend is harbouring about the judgements and overcoming them by a legislative process. It is an accepted principle of jurisprudence and there are a catena of decisions of the Supreme Court itself that the judgement of the court can be got over by a legislative process and in the case of Shrimati Indira Gandhi, the judgement was got over by an amendment in the law itself. That is absolutely valid.

SHRI SIKANDER BHAKT : I am not denying it. I am not crossing swords with Shiv Shanker Ji on the point of law. But what I am saying is that there have been methods because unless a party is in power, it cannot bring in a legislation to circumvent the court's judgement. Therefore, simply because X or Y or Z is in power... (Interruptions).

SHRI P. SHIV SHANKER : By an amendment in the law, the judgement becomes absolutely meaningless.

श्री सिकन्दर बख्त : तीसरी बात जो मैं  
अर्ज कर रहा हूँ, सदर साहिबा, कलकत्ता  
हाई कोर्ट का एक फैसला है। जिस पर कि  
आज तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फैसला  
होने के बाद भी अमल नहीं किया।  
... (व्यवधान) उन्होंने इतनी भी  
एतियात नहीं की कि उसका कुछ कानूनी  
पहलू निकाल करके उस पर अमल न  
करते। (घंटी)

मैं दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ  
... (व्यवधान)



شری سکندر بخت: تیسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ صدر صاحبہ۔ کلکتہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ جس پر کہ آج تک ویسٹ بنگال گورنمنٹ نے فیصلہ ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا ہے۔ ... ”مداخلت“۔ انہوں نے اتنی بھی احتیاط نہیں کی کہ اسکا کچھ قانونی پہلو نکال کر کے اس پر عمل کرتے۔ ”گھنٹی“ میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sikander Bakht Sahab, if I may interrupt, you have had enough time. As per your request, I gave you enough time.

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ، آپ چاہے تو مجھے بولنے سے روک دیجیے۔

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ آپ چاہیں تو مجھے بولنے سے روک دیجیے۔

उपसभापति: नहीं, मैं रोक तो नहीं रही। यह तो आपका हक है, मगर कितनी देर और ... (व्यवधान)

कितना वक्त और ... (व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त: पंद्रह मिनट और ... (व्यवधान)

شری سکندر بخت: پندرہ منٹ اور ... ”مداخلت“

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute please. It means you will be speaking for almost 45 minutes. Then what about the other Members? I have to give

time to them also because these are just clarifications.

श्री सिकन्दर बख्त: सदर साहिबा, मैं बहुत जल्दी-जल्दी खतम करता हूँ, जितनी भी जल्दी कर सकता हूँ।

सदर साहिबा, मैं जवाहर लाल को कोट करना चाहता हूँ—

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ میں بہت جلدی جلدی ختم کرتا ہوں۔ جتنی بھی جلدی کر سکتا ہوں۔ صدر صاحبہ۔ میں جواہر لال کو کاٹ کرنا چاہتا ہوں۔

“Judges sitting in the ivory towers should not be allowed to overrule the will of crores of people.” And that is the direction that the BJP has adopted today and we are submitting ourselves to the will of crores of people.

That is what we are doing.

सदर साहिबा, मैं आखरी बात अर्ज करना चाहता हूँ कोर्ट के फैसले के सिलसिले में कि यह हिन्दुस्तान आजाद कैसे हो गया। سوال किसी भी कोर्ट के फैसले में मोरैलिटी और इममोरैलिटी के फैक्टर्ज का होना चाहिए। अगर फर्ज कर लीजिए में कार सेवा के लिए जाता हूँ और किसी कानून का उल्लंघन भी करता हूँ और उस कानून के उल्लंघन की सजा उठाने के लिए तैयार हूँ, इस दी स्पिरिट आफ सत्याग्रह—तो इलजाम कानून तोड़ने का नहीं लगाया जा सकता है।

صدر صاحبہ۔ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کورٹ کے فیصلے کے سلسلہ میں کہ یہ ہندوستان آزاد کیسے ہو گیا۔ سوال کسی بھی کورٹ کے فیصلے میں مورلیٹی اور امورلیٹی کے سکٹرز کا ہونا چاہیے۔ اگر

[**श्री सिकन्दर बल्ल**]

فرض کر لیجیے میں کار سیوا کیسے جاتا ہوں اور  
کسی قانون کا لگھن بھی کرتا ہوں اور اس  
قانون کے لگھن کی سزا اٹھانے کیسے تیار ہوں۔  
ان دی اسپرٹ آف سٹیٹیا گروہ۔ تو لازم قانون  
توڑنے کا نہیں لگایا جاسکتا ہے۔

ہمارے لیے۔ (بصधान) سہی بات ہے بیکول۔  
میں پہلی مرتبہ ہی شروع میں کہا کہ تمام  
کانوونی ہمارے موجد ہیں۔ اگر کار سے وک  
کانوون توڑتا ہے تو کانوونی ہمارے  
نوٹس لے سکتے ہیں۔ اسکو وہ کر سکتے  
ہیں، سدر ساہیبا،... (بصधान) ہمارے  
لیے ایلوڈیا کا سوال مندر اور مسجید  
کے سوال سے بڑھ کر سوال ہے ہمارے  
لیے ایلوڈیا کا سوال راشٹریتا کا سوال ہے۔  
کیونکہ ہندوستان کو دیکھنا ہوگا کہ آخر  
ہندوستان کس طرف جا رہا ہے۔ ...

شری سکندر بخت "جاری": ہمارے لیے  
مداخلت... صحیح بات ہے بالکل۔ میں نے  
پہلی مرتبہ ہی شروع میں کہا کہ تمام قانونی ادارے  
موجود ہیں۔ اگر کار سے وک قانون توڑتا ہے۔  
تو قانونی ادارے اس کا نوٹس لے سکتے ہیں۔  
اس کو وہ کر سکتے ہیں صدر صاحبہ... مداخلت  
ہمارے لیے ایلوڈیا کا سوال مندر اور  
مسجید کے سوال سے بڑھ کر سوال ہے ہمارے  
لیے ایلوڈیا کا سوال راشٹریتا کا سوال ہے۔  
کیونکہ ہندوستان کو دیکھنا ہوگا کہ آخر  
ہندوستان کس طرف جا رہا ہے۔ ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Dr. Jain,  
don't get excited. It is a part of parlia-  
mentary democracy.. (interruptions)..  
Please. (Interruptions).. Yes, you are  
most welcome. If you want to threaten,  
threaten. (Interruptions)...

**श्री सिकन्दर बल्ल :** सदर साहिबा, मैं  
आनरेबल मੈम्बर का बहुत शुक्रगुजार हूँ  
कि देखल तो दे रहे हैं, मुस्करा कर देखल  
दे रहे हैं, इसका कोई हर्ज नहीं है। मैं  
यह अर्ज करना चाह रहा हूँ सदर साहिबा  
कि हमारे किसी चीज में इक्वल यार्डस्टिक  
नहीं है सैकुलरिज्म किसे कहते हैं? जरा  
आपकी तस्वीर पर नजर डालिए मेहरबानी  
... (बवधान) जहां आज हिन्दुस्तान  
का मुस्तकबिल इस 90 करोड़ की आबादी  
के मुल्क का प्रधान मंत्री किससे डिसकस  
कर रहा है? हिन्दुस्तान के मुस्तकबिल  
किससे नेगोशिएट कर रहा है? बाबरी  
मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर साहब कौन  
हैं? यह किस किस्म की राजनीति का  
प्रॉडक्ट है? अगर वह सब आनरेबल  
मैम्बरज को अव्वल तो मालूम ही होगा  
1947 से पहले की तहरीक, हैदराबाद  
में चलती थी रजाकारों की तहरीक चलती  
थी। कासिम रिजवी साहब का इतकाल  
हो चुका है, उनकी रहबरी में चलती थी।  
... (बवधान)

شری سکندر بخت: صدر صاحبہ۔ میں آنرےبل  
ممبر کا بہت شکر گزار ہوں کہ دخل تو دے  
رہے ہیں مسکرا کر دخل دے رہے ہیں۔  
اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ عرض

کرنا چاہا رہا ہوں۔ صدر صاحبہ کہہ رہے ہیں۔ کسی چیز میں اکولی یا رڈ اسٹک نہیں ہیں۔ سیکورٹیز کے کہتے ہیں۔ ذرا آپ کی تصویر پر نظر ڈالیے مہربانی... ”مداخلت“... جہاں آج ہندوستان کا مستقبل اس ۹۰ کروڑ کی آبادی کے ملک کا پردھان منتری کس سے ڈسکس کر رہا ہے۔ ہندوستان کے مستقبل کس سے نیگوشیٹ کر رہا ہے۔ باری مسجد ایکشن کمیٹی کے صدر صاحب کون ہیں۔ یہ کس قسم کی راج نیسی کا پراڈکٹ ہے۔ اگر وہ سب آئزبل ممبرز کو معلوم ہی ہو گا ۱۹۴۷ء سے پہلے کی تحریک حیدر آباد میں چلتی تھی رضا کاروں کی تحریک چلتی تھی۔ قاسم رشتوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انکی رہبری میں چلتی تھی۔ ”مداخلت“...

آئی مونسٹر لالیپور رحمان : (آنندھ پردھ) : آپ جو فرما رہے ہیں اسے بھگت تالکھ نہیں ہے۔ وہ ہندوستان کی پارلیامینٹ کے ممبر ہیں، وہ ہندوستان کی لوک سبھا کے ممبر ہیں... (بھگت)

شری محمد خلیل الرحمن : آپ جو فرما رہے ہیں اس سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ وہ ہندوستان

کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں۔ وہ ہندوستان کی لوک سبھا کے ممبر ہیں... ”مداخلت“

آئی سیکندر بخت : میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے... (بھگت)

شری سیکندر بخت : میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے... ”مداخلت“

آئی سیکندر بخت : سیکندر بخت ساہب؛ آپ نے ڈاکٹر کے نام لیا ہے یا ڈاکٹر کے نام لیا ہے... (بھگت)

آئی سیکندر بخت : میں نے بھگت کے نام نہیں لیا ہے، نہ ڈاکٹر کے نام لیا ہے، نہ ڈاکٹر کے نام لیا ہے۔

شری سیکندر بخت : میں نے بالکل نام نہیں لیا ہے۔ ڈاکٹر کے نام لیا ہے۔

THE DEPUTY CHAIRMAN : Even indirectly we do not take the names of the members of the other House. (Interruptions) ... I am dealing with it. You please sit down. (Interruptions)...

آپ بٹھیں میں نے کہہ دیا... (بھگت) وہی بات میں نے کہہ دی۔

... (Interruptions) ... I said that. (Interruptions) ... You please listen to me. I have said the same thing. Sikander Bakht Sahib, it is my request, you please conclude. There is no time. I have to call other people. (Interruptions)...

آئی سیکندر بخت : صدر ساہب، کب سے کم مداخلت ہو تو میں جلدی عرض کر دوں گا۔

شری سیکندر بخت : صدر صاحبہ کم سے کم مداخلت ہو تو میں جلدی عرض کر دوں گا۔

آئی سیکندر بخت : نہیں-نہیں، کوئی مداخلت نہیں... (بھگت)

آئی سیکندر بخت : میں یہ کہنا چاہتا ہوں صدر ساہب کہ آج ہندوستان کا مستقبل ان طاقتوں سے متاثر کیا جا رہا ہے، ان طاقتوں سے متاثر کیا جا رہا ہے، جو طاقتیں اس ملک کے اندر فیرا پڑتی ہیں وہ وہی ہیں جو طاقتیں ہندوستان کی ترقی کے لیے ہیں... (بھگت)

شری سکندر نخت: میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔  
صدر صاحبہ کہ آج ہندوستان کا مستقبل ان  
طاقتوں سے طے کیا جا رہا ہے۔ ان طاقتوں  
سے نیگو شیت کیا جا رہا ہے۔ جو طاقتیں اس  
ملک کے اندر فرقہ پرستی کے بیج بوجھتی ہیں۔  
جو طاقتیں ہندوستان کی تقسیم کا باعث  
بن چکی ہیں۔ ”مداخلت“۔۔۔

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all.

श्री सिकन्दर नख्त: क्या  
"that is all" ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have spoken for 40 minutes. I cannot go on giving you more time because you may have a whole history to say. (Interruptions) ..

श्री सिकन्दर नख्त: सदर साहिबा, सैकुलरिज्म के खिलाफ इलजाम हम पर लगाया जा रहा है कि हम हिन्दुस्तान में सैकुलरिज्म के खिलाफ गलत रास्ते पर, उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं। सैकुलरिज्म के रास्ते पर कौन चल रहा है? कौन चल रहा? ... (व्यवधान)

شری سکندر نخت: صدر صاحبہ سیکولرزم کے خلاف الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے کہ ہم ہندوستان میں سیکولرزم کے خلاف غلط راستے پر۔ اُلٹے راستے پر چل رہے ہیں۔ سیکولرزم کے راستے پر کون چل رہا ہے۔ کون چل رہا ہے۔۔۔۔۔ ”مداخلت“

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): What is secularism, according to you? (Interruptions)...

श्री सिकन्दर नख्त: आज इस मुल्क में यह भी हो सकता है। सदर साहिबा, आज इस

मुल्क में यह भी हो सकता है। ये वही है जिन्होंने इस मुल्क को तक्सीम कराय़ा है। जो बंदे मातरम के खिलाफ ... (व्यवधान) ... ये बंदे मातरम के खिलाफ फ़ार्मल मीटिंग्स में इख़लाफ़ जाहिर करें, जो इस मुल्क का रास्ता है। ... (व्यवधान) कौन इन लोगों के साथ चल रहा है? कौन इस किसम के लोगों के साथ ... (व्यवधान) ...

شری سکندر نخت: آج اس ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صدر صاحبہ۔ آج اس ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو تقسیم کرایا ہے۔ جو دندے ماترم کے خلاف ... ”مداخلت“ یہ دندے ماترم کے خلاف فارمل میٹنگز میں اختلاف ظاہر کریں۔ جو اس ملک کا راستہ ہے۔۔۔ ”مداخلت“ کون ان لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ کون اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ... ”مداخلت“

उपसभापति: श्री चतुरानन मिश्र ।।

श्री सिकन्दर नख्त: अब मुझे खत्म करने दीजिए ।

شری سکندر نخت: اب مجھے ختم کرنے دیجیے؟

उपसभापति: खत्म कर लीजिए । अब यू कांट

(Interruptions)... Just one minute. (Interruptions)...

श्री सिकन्दर नख्त: सदर साहिबा, आप दूसरी मदखलत से ज्यादा ... (व्यवधान)

شری سکندر نخت: صدر صاحبہ۔ آپ دوسری مداخلت سے زیادہ۔۔۔۔۔ ”مداخلت“۔۔۔۔۔

**उपसभापति :** देखिए, सिकन्दर बख्त साहब

you asked for permission. There is no discussion before us. It is only seeking clarification. (Interruptions)...

**SHRI SIKANDER BAKHT :** No, Madam. It is not right.

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** You please sit down.

**SHRI SIKANDER BAKHT :** No, Madam. It is not right.

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** If I am wrong you challenge it anywhere you like. I am not bothered. You should mind your language. If I give so much time to every Member, there would be no conclusion of it. If you want to conclude in five minutes, you please do it and that is all. But don't make wrong statements on the floor of the House.

पांच मिनट में बोल दीजिए ।

.. (Interruptions) ..

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर :** (उत्तर प्रदेश) : मैडम मैं यही कह रहा हूँ कि बढमजगी के साथ बात खतम हो, उसके बजाय (व्यवधान)...

**उपसभापति :** यह तो उन्हें ही सोचना चाहिए ।

**श्री सिकन्दर बख्त :** सदर साहिबा, मैं पांच मिनट में यकीनन खतम कर दूंगा । आप का शुक्रगुजार हूँ बहुत-बहुत ।

**श्री सिकन्दर बख्त :** सदर साहिबा, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए अयोध्या का सवाल हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है, मन्दिर मस्जिद का सवाल नहीं है । हमारे लिए यह राष्ट्रियता का सवाल है । हिन्दुस्तान

**उपसभापति :** शुकिया ।

**श्री सिकन्दर बख्त :** सदर साहिबा, यहां इल्जाम लगा कि हम लोग इंटैग्रेनिज्म के एरिए को ब्राइडन कर रहे हैं, मैं सिर्फ यही

[ ] Transliteration in Arabic Script.

अर्ज करना चाहता हूँ कि यह कटौतवादी किसने शुरू की ? बी० जे० पी० ने, बी० एच० पी० ने, आर० एस० एस० ने नहीं की । मेरा कहना यह है कि क्या मिसवीफ की इजाजत होती है, मिसवीफ के खिलाफ रिएक्शन की कोई इजाजत नहीं है । हमने हर बौके पर कोषरेट किया है । आप गौर कीजिए फ़ितना शिब्ट स्टूचर से किया गया है, 2.7 में कहां-कहां पहुंच गए हैं ? मैं कम कर रहा हूँ, सदर साहिबा, अपनी बात को । .... (व्यवधान) खतम कर रहा हूँ । .... (व्यवधान)

**श्री सिकन्दर बख्त :** صدر صاحبہ یہاں الزام لگا کہ ہم لوگ انٹوگو نزم کے ایریجے کو وائیٹن کہہ رہے ہیں۔ میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کنٹروورسی کس نے شروع کی۔

بی۔ جے۔ پی نے وی۔ ایچ۔ پی۔ نے۔ آر۔ ایس۔ ایس نے کی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ کیا چیف کی اجازت ہوتی ہے۔ مس چیف کے خلاف ری ایکشن کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے ہر موقع پر کو آپریٹ کیا ہے۔ آپ غور کیجیے کہ کتنا شفٹ اسٹریکچر سے کیا گیا ہے۔ ۲ اعشاریہ ۷ میں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں میں کم کر رہا ہوں صدر صاحبہ اپنی بات کو .... "مداخلت" ختم کر رہا ہوں .... "مداخلت"

**THE DEPUTY CHAIRMAN :** Please don't disturb him.

**श्री सिकन्दर बख्त :** सदर साहिबा, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए अयोध्या का सवाल हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है, मन्दिर मस्जिद का सवाल नहीं है । हमारे लिए यह राष्ट्रियता का सवाल है । हिन्दुस्तान

[ ] Transliteration in Arabic Script.

[श्री सिकन्दर बख्त]

को किस तरफ जाना है। क्या हिन्दुस्तान को उस तरफ जाना है, जिस तरफ कि हिन्दुस्तान को विभाजित कराने वाली ताकतें ले जाना चाहती हैं या हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तानियत की तरफ ले जाना है ?

सदर साहिब,

شری سکندر بخت: ہمدرد صاحبہ میں عرض ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ایڈووکیٹ کا سوال ہندو مسلمان کا سوال نہیں ہے۔ مسند مسجد کا سوال نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ راسخوٹا کا سوال ہے۔ ہندوستان کو کس طرف جانا ہے۔ کیا ہندوستان کو اس طرف جانا ہے جس طرف کہ ہندوستان کو بھاجت کرانے والی طاقتیں لے جانا چاہتی ہیں یا ہندوستان کو ہندوستانیت کی طرف لے جانا ہے۔ ہمدرد صاحبہ

BJP stands by every word that Advaniji and Joshiiji have said. We are not prepared to hand over this country to communal forces.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभापति महोदया, आज हम लोग इस सदन में बहुत ही गंभीर परिस्थिति पर, जो अयोध्या में हमारे मित्र वी०जे०पी० के लोगों ने पैदा की है उस पर, बहस कर रहे हैं। इसी संबंध में मैं भी कुछ बोलने को खड़ा हुआ हूं। हमको इस बात से बहुत चिन्ता है कि सारे देश के लोगों को यह जिस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उससे देश में बहुत खून-खराबा होगा और मुल्क बर्बाद होगा।

महोदया, मैं यह कहना चाहता था कि इधर अभी आपोजीशन ने कहा है कि

[ ] Transliteration in Arabic Script.

कॉन्फेशन किसने शुरू किया अयोध्या में ? मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कॉन्फेशन उसने शुरू किया, जिसने सटिफाइड नक्शा मन्दिर निर्माण का देने से इंकार किया। वह कौन है ? आप लोग ? आप लोगों ने नहीं दिया सटिफाइड नक्शा कि कैसा मन्दिर बनाना चाहते हैं। उसने शुरू किया कॉन्फेशन, जिसने कहा कि छैनी और खन्ता लेकर कार सेवा करने जाएंगे। आपने स्वयं अभी कहा कि एक-एक शब्द आडवाणी जी का आप मानते हैं, तो यह अखबारों में निकला है और उन्होंने कंट्राडिक्शन नहीं किया है। तो जिसने यह कहा कि हम वहां छैनी और खन्ता लेकर जाएंगे, टकराव उसने ही शुरू किया। जब समझौता वार्ता चल रही थी, उसमें से निकल कर कह दिया कि 6 दिसम्बर से वहां पर हम कारसेवा करेंगे, उसने कॉन्फेशन शुरू किया। ... (व्यवधान) ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदया, आप इजाजत दें, जैसे लोग पूछ रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को यह नहीं कहा कि मस्जिद वहीं रहेगी। ... (व्यवधान)

यह आप मुझे जवाब दे दीजिए।

डा० जितेन्द्र कुमार जैन : आप राम जन्मभूमि पर मस्जिद रखते हो। ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please. He has his right to speak what he wants within his time. Why do you object to it ? Have some patience. I have not asked you to answer him. When your time comes, you can. Let him make his point.

श्री चतुरानन मिश्र : सुनिए, जैन साहब, अगर आप पूछ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि खानदानी हमको अधिकार है कि कहां पर मूर्ति रखें। आपको तो यह अधिकार नहीं है, हिन्दू धर्म में।

डा० जितेन्द्र कुमार जैन : सारे अधिकार आपको हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाईं।

कृपि आपकी मेजोरिटी है, आपको सब अधिकार हैं।... (व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Just a second. You asked for permission.. (Interruptions).. There is no discussion.. (Interruptions).. Please sit down.. (Interruptions).. There is no discussion before the House. It is only clarification. According to tradition and custom of this House, on clarifications you can ask a clarification. You have taken enough time. You started at 3.18 I have noted the time. There are other Members and I have to look after the interests of every Member of this House.. (Interruptions)..

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिब! मेरा कहना यह है कि हम पर सेकुलरिज्म का इल्जाम गलत है। मैं हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी मानता हूँ।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिब! मेरा कहना यह है कि हम पर सेकुलरिज्म का इल्जाम गलत है। मैं हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी मानता हूँ।

उपसभापति : आप फिर शुरू हो गए ?

श्री सिकन्दर बख्त : मैं शुरू इसलिए हो गया हूँ कि आखिर कौन है जो सेकुलरिज्म के रास्ते के खिलाफ है ? वह कौन है जिनकी कि तारीख भरी पड़ी है फिरकापरस्ती से... (व्यवधान) ... दूसरी बात मैं अर्ज करूँगा

श्री सिकन्दर बख्त : मैं शुरू इसलिए हो गया हूँ कि आखिर कौन है जो सेकुलरिज्म के रास्ते के खिलाफ है ? वह कौन है जिनकी कि तारीख भरी पड़ी है फिरकापरस्ती से... (व्यवधान) ... दूसरी बात मैं अर्ज करूँगा

THE DEPUTY CHAIRMAN :

अब बंद करिए सिकन्दर बख्त साहब।

Please sit down.. (Interruptions)..

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

SHRI CHATURANAN MISHRA :  
Madam.. (Interruptions)..

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Chaturanan Mishra, I think you can ask your clarifications. I have given enough time to Mr. Sikander Bakht. It is 3.50. Please, Mr. Bakht, cooperate with the Chair.. (Interruptions)..

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिब! यह बहुत सख्त ज्यादाती है। मैं यह हाउस में नहीं कहना चाहता हूँ। जो चैयरमेन साहब से बात हुई है, उस बात के खिलाफ आप बात कर रही हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहिब! मेरा कहना यह है कि हम पर सेकुलरिज्म का इल्जाम गलत है। मैं हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी मानता हूँ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I challenge you. I will ask the Chairman to give in writing.. (Interruptions).. How much time you have taken.. (Interruptions).. Please sit down.. (Interruptions)..

श्री सिकन्दर बख्त : आपको मुझसे कह देना चाहिए था कि आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री सिकन्दर बख्त : आप को मुझसे कह देना चाहिए था कि आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN : You are making a wrong statement on the floor of the House. The Chairman never gave me instructions that I should give you 40 minutes to speak.. (Interruptions)..

श्री सिकन्दर बख्त : आप मुझे माफ कीजिए, 40 मिनट की बात तो नहीं थी, लेकिन यह कहा गया और आपकी मौजूदगी में कहा गया कि

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

[श्री सिकन्दर बख्त]

شری سکندر بخت: آپ مجھے حاف کیجیے

۴۰ منٹ کی بات تو نہیں تھی لیکن یہ کہا گیا  
اور آپ کی موجودگی میں کہا گیا کہ ...

SHRI CHATURANAN MISHRA :

उपसभापति जी ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have to give 40 minutes to every one. All right, everybody should speak for 40 minutes.. (Interruptions)...

DR. JINENDRA KUMAR JAIN : How judicious of you, Madam.. (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Naturally, all are equal.. (Interruptions) ..

SHRI N. K. P. SALVE : Madam, is that your direction that nobody should speak less than 40 minutes... (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Unfortunately when a Member cannot make his point they confront the Chair. I have noted here when Mr. Sikander Bakht started his speech. It was 3.18. Now if the House agrees I will allow Mr. Sikander Bakht to speak as long as he likes.. (Interruptions)... But there is no direction from the Chair. If it is so, Mr. Chairman is in his Chamber, and I will ask him to come and preside over the House and decide. The Chairman has not given me any direction Don't make wrong statements... (Interruptions)...

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : महोदया, आपने बार-बार 40 मिनट कहा, लेकिन 40 मिनट अभी नहीं हुए हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मेरी एक दरखास्त सुन लीजिए।

उपसभापति : पहले सिकन्दर बख्त साहब कहें कि उन्होंने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है।

श्री सिकन्दर बख्त : क्या गलत-सही बना देती हैं, बड़े अफसोस की बात है।

شری سکندر بخت: کیا غلط صحیح بنا دی گئی ہے۔  
بڑے افسوس کی بات ہے۔

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैडम, अगर आपको कुछ नाराजगी है तो आप चैयर पर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं।

उपसभापति : नाराजगी नहीं है। माथुर साहब, नाराजगी नहीं है। नाराजगी की क्या बात है ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपको अधिकार है। आपने ठीक किया है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ... (व्यवधान) ...

डा० अब्दुल ग़फ़ार अहमद : हम को भी बोलना है, सभी को बोलना है। यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं किसको बोलना अच्छा नहीं लगता। और लोगों को भी तो टाइम चाहिए।

THE DEPUTY CHAIRMAN :

एक मिनट प्लीज, माथुर साहब, मैं आप को बताऊँ चैयरमैन साहब ने मुझे कोई इंटरक्वेंस नहीं दिए हैं।

I can assure the House I am not the one to speak untruth because I am present in the House every day. This is not the last day. I gave you enough time. There is pressure from other Members also. We have a Constitution amendment which will come at 4 o'clock. I have a list of 22 Members before me.. (Interruptions)...

[4.00 P.M.]

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने उस दिन यह छोड़ दिया, जिस दिन आप कम्युनिस्ट हो गए। पंडिताई आपने छोड़ दी, जिस दिन आप कम्युनिस्ट हो गए। ... (व्यवधान) ...

श्री चतुरानन मिश्र : आप पंडिताई को अपनाकर उसे लात काहे को मार रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

† [ ] Transliteration in Arabic Script.



श्री जगदीश प्रसाद माथुर लात नहीं मार रहे । ... (व्यवधान) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Mishra, you please address the Chair.

श्री चतुरानन मिश्र : डिस्टर्बेंस का टाइम रिकार्डर अलग वहां नहीं है । ... (व्यवधान) ...  
जिसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला हम इसके बारे में नहीं मानेंगे यह हमारा विश्वास है अपना, यह जिसने कह दिया उसी ने कन्फ्रंटेशन शुरू किया । मैं चाहता था कि हमारे लीडर आफ दि अपोजीशन बी० जे० पी० के नेता हैं, साफ-साफ बोलेंगे । असली बात यह है कि ये मस्जिद तोड़ना चाहते हैं और वहां पर मंदिर बनाना चाहते हैं । आप इसे छिपाते काहे को हैं ? सबसे कहिए साफ-साफ और आप यह भी कह दीजिए कि इसी से हमको वोट मिलता है इसीलिए हम यह करते हैं । ... (व्यवधान) ...

श्री संघ प्रिय गौतम : इसमें कोई हंसी की बात नहीं है, आज तक मस्जिद नहीं टूटी जिसे आप कहते हैं और ... (व्यवधान) ...  
आज तक मंदिर नहीं टूटा जिसे हम कहते हैं । ... (व्यवधान) ...

श्रीलाना ओबेदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश) : यह मस्जिद मान रहे हैं कि आज तक मस्जिद नहीं टूटी । ... (व्यवधान) ...

سولانا عبید اللہ خان اعظمی : یہ مسجد نہیں ٹوٹ  
ہیں کہ آج تک مسجد نہیں ٹوٹ

उपसभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री चतुरानन मिश्र : हम तो आपकी बात को सुनते रहे हैं, आप भी हमारी बात सुन लीजिए । ... (व्यवधान) ...

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : बोलो यह बात ईमानदारी से कि आप राम लला की मूर्ति वहां से हटाना चाहते

हैं, बोलो यह बात ईमानदारी से । ... (व्यवधान) ... बोलो । ... (व्यवधान) ...

श्री चतुरानन मिश्र : हम कौन कहते हैं आपको । ... (व्यवधान) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : Chaturananji, you please confine yourself to the subject.

आप उन्हें बोलने दीजिए, आप बोलिए अपनी बात ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : अगर हिम्मत है तो बोलो कि हम राम लला की मूर्ति उस स्ट्रक्चर से हटाना चाहते हैं । ... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : अगर हिम्मत है तो तोड़ो । ... (व्यवधान) ...

श्री चतुरानन मिश्र : देखिए, यही इनका संवैधानिक तरीका है कि यह बोलो वह बोलो । अरे, हम बोलेंगे, किसलिए बोलें । अब यह आपका नया संविधान है । ... (व्यवधान) ... बात कहने दीजिए ... (व्यवधान) ...

श्री कैलाश नारायण सारंग : आप बोलो कि हम वहां से राम लला की मूर्ति हटाना चाहते हैं । ... (व्यवधान) ...

श्री चतुरानन मिश्र : अब हम आ रहे हैं असली बात पर । ... (व्यवधान) ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मस्जिद कहते हैं मुसलमान को, मंदिर कहते हैं हिन्दू को, साफ-साफ बोलिए न । ... (व्यवधान) ... बात मान सकता हूं ... (व्यवधान) ... वहां से हटाई जाए । ... (व्यवधान) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : I would be very thankful to the hon. Members if they allow Mr. Chaturanan Mishra to finish his speech so that we can take up the listed business. We have some listed business.

श्री चतुरानन मिश्र : एक बात की चर्चा हम करना चाहते हैं। बी० जे० पी० के हमारे मित्र लोग ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे हमको कम्युनिस्ट आपने कहा, कम्युनिस्ट लोग बराबर आर्टिकल 356 के इस्तेमाल करने के खिलाफ हैं लेकिन आप ऐसी हरकत कर रहे हैं वहां, देश के टुकड़े-टुकड़े करने जा रहे हैं, इसलिए आर्टिकल 356 का हमें समर्थन करना पड़ा। ... (व्यवधान) ...

श्री बयानंद सहाय (बिहार) : इधर हाथ क्यों कर रहे हैं, उधर करिए न।

श्री चतुरानन मिश्र : हाथ आपका चुनाव चिन्ह है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I think the Members are not very serious about the subject. So, I think I can ask the Chairman to come and take over.

श्री चतुरानन मिश्र : दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग बिना राज्य सरकार की इजाजत के सैदूल सेवा के फोर्स को भेजने के भी खिलाफ हैं, लेकिन जब आप बग़ावत इस ढंग से कर रहे हैं, संविधान को रोद देना चाह रहे हैं, तब तो केन्द्रीय फोर्स भेजने के लिए हम बाध्य हो रहे हैं। आपने न्यू डायमेंशन्स एड कर दिया। आप मथुरा को भी ले आए और बनारस को भी ले आए। कौन बड़ा झगड़ा खड़ा करता है? मैं गया था पहली तारीख को, जिस दिन सुरजी मनोहर जोशी भी गए थे, उसी दिन मैं भी मथुरा गया था। यह रजिस्टर्ड कागज है, जिसको देkhना है देखे, इजाजत तो यहीं है टेबल पर रखने की, कि श्री कृष्ण जन्म-स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह-मथुरा कमेटियों के मध्य समझौता वार्ता जो हुई है। दोनों ने मिलकर तय किया, इसका अंतिम हिस्सा पड़ा रहा हूँ। उसका अंतिम

हिस्सा—पॉइंट-9 में पढ़ रहा हूँ :

“यह कि दोनों पक्षों की ओर से जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें समझौते की समस्त शर्तें पूरी हो जाने पर दोनों पक्ष राजीनामा इस समझौते के अनुसार दाखिल कर देंगे।”

वहां के कृष्ण जन्म भूमि के लोग और शाही ईदगाह के लोग दोनों एक हो गए। यह हमारे पास है। यह रजिस्टर्ड डाक्यूमेंट है, उपसभापति महोदया, लेकिन भाजपा वाले वहां जाकर उनको सिखाते हैं कि—शाही मस्जिद तोड़ दो, हटा दो इसको। बाहर से यह क्यों फोर्स ले जाते हैं। राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले वहां के स्थानीय लोग भी तो हैं। बाहर से लोगों को लाकर हंगामा मचाते हैं चूँकि आपकी सरकारें हैं, नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए मजबूर होकर के हमको मुकाबला करना है। ... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : आप भी तो वही कर रहे हो। आप चिल्ला रहे हो कि मस्जिद टूट रही है जबकि ... (व्यवधान) वहां उनको कोई शिकायत नहीं है अयोध्या और ... (व्यवधान) फैजाबाद वालों को कोई शिकायत नहीं है। यह तो आप ही चिल्ला रहे हैं कि वहां बाबरी मस्जिद है, टूट रही है। आप चिल्लाना बंद कर दीजिए ... (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : अगर मन्दिर ही है, तब आपको कुत्ता काटा है कि इतने आवमियों को लेकर के वहां जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हमें कुत्ता नहीं काटा, आप काट रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : यह “कुत्ता काटा” बड़े अन-पॉलियामेंट है। ... (व्यवधान)

**श्री चतुरानन मिश्र :** अगर अन-पार्लियामेंट्री है तो हम वापिस ले लेते हैं। हमने यह नहीं कहा कि पागल कुत्ता ने आपको काटा। अभी तो हम खाली कुत्ता कहे हैं। फिर भी अगर है तो हम वापिस ले लेते हैं, इसमें क्या लगता है ..... (व्यवधान) हम आपको बताना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कुछ बातें कहना चाहते हैं कि यह जो हालत पैदा हो गई है तथा देखिए यह बात सही है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है वह मामला आंशिक है, यानी उनके आदेश का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, इसके लिए उन्होंने अपना जूडिशियल आफिसर को तैनात किया है। वहां मसला सिर्फ कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का है। यह पूरा मसला तो हल हो नहीं पा रहा है। कोर्ट की अवमानना पर हस्तक्षेप करना आपके लिए भी कठिन हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डायरेक्शन है और जूडिशियल आफिसर जब रिपोर्ट देगा तब ही सुप्रीम कोर्ट कहेगा और शायद तब आप आर्टिकल-356 इस्तेमाल करेंगे। यही हालत अभी पैदा हो गई है। लेकिन एक दूसरी घटना की आशंका है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। लाखों लोग मिलकर के जैसा पिछली बार किया था, मस्जिद पर चढ़ करके छैनी मार रहे थे और अडवाणी जी ने कहा कि छैनी लेकर जाइए, हथौड़ी लेकर जाइए, खन्ता लेकर जाइए। तो तब अगर वे मस्जिद तोड़ने लगेंगे तो लाखों आदमियों की भीड़ में आप क्या करेंगे? क्या गोली चलाएंगे, खून करेंगे, क्या करेंगे, यह सवाल पेश हो गया है। मुझको यह पसन्द नहीं है कि हम बी०जी०पी० के भाई लोगों से अपील करेंगे। हम उनसे अपील नहीं करेंगे, क्योंकि रोजाना यही इनका काम ही है। इसलिए अपील करने से कोई फायदा नहीं होगा। यह होम मिनिस्टर का काम है कि वह अपील करें, जिसको जो करना है करे। हम अभी भी सरकार से कहना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वह सुप्रीम कोर्ट करे,

सरकार का जो काम है सो सरकार करे। सरकार का काम है कि टोटल इस केस के मुताबिक जितना भी मसला है सबको आप सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दीजिए और लॉ मिनिस्टर यहां पर एक बिल लाएं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता है, स्टेट्स वहां बरकरार रहेगा। स्टेट्स का वॉयलेशन जो करेगा तो उस सरकार को संविधान के मुताबिक भंग कर दिया जाएगा।

**डा० जितेन्द्र कुमार जैन :** ऑब्जर्वर ने कहा है कि कोई वॉयलेशन नहीं हुआ है।

**श्री चतुरानन मिश्र :** आपने हमारी बात तो सुनी नहीं ..... (व्यवधान)

**डा० जितेन्द्र कुमार जैन :** आप गड़बड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री चतुरानन मिश्र :** हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना आफिसर रख चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेट होगा तब वह कुछ करेगा। यही हमने कहा है। हम दूसरी बात कह रहे हैं कि सारा मसला आप सुप्रीम कोर्ट को भेज दीजिए, सिर्फ कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का नहीं, वह बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि का टोटल मामला भेज दीजिए और वह भेज करके पार्लियामेंट में कानून बना लीजिए कि सभी इस बीच में स्टेट्स को मेन्टेन करें। तब तक इस बीच में 'स्टेट्स को' मेन्टेन करेंगे और जहां कोई इसको तोड़ने की कोशिश करे, उस सरकार को बरखास्त कर दीजिए। राम नाम सत्य हो जाएगा, सब बात ठीक हो जाएगी। इसके बाद कहीं कुछ नहीं बचेगा और अगर आप यह काम नहीं करते हैं तो आप खून-खराबे को प्रोत्साहन देते हैं और वह बहुत धुपित बात होगी। इसलिए मैं इस मुसॉव के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं कि इसको करें।

जहां तक ऐमीक्यल सैटलमेंट की बात है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट विचार करे,

[श्री चतुरानन सिन्हा] :

प्रधान मंत्री जी विचार करें, जितना वार्तालाप करना हो, कर लें, जितनी बार धर्म संसद् बैठानी हो बिठा लीजिए। अगर अभी सिर्फ जाकर भजन-कीर्तन करना है, पूजा करनी है तो हमको भी प्रसाद भेज दीजिएगा... (व्यवधान) हमको कोई ऐतराज नहीं है। हमको ऐतराज है खून-खराबा करने पर, संविधान को तोड़ने पर।

और एक बात आपको बता दें और लीडर ऑफ दि अपोजीशन को बता दें कि भारत का संविधान ये नहीं है कि रामभक्त ही इस देश में राष्ट्रवादी होगा, अभी तक नहीं है। हमारे देश में राम भी है और आपके तो सब नेता कृष्ण हैं—लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर कृष्ण, अटल बिहारी वाजपेयी। आप तो सब कृष्ण वाले हैं। राम वाले तो हम लोग हैं, ... (व्यवधान) आपके पास है कहां? इसीलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस देश को बरगलाइए मत। ये देश अपना संविधान तय कर चुका है। जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में हिस्सा लिया, उन लोगों ने बहुत ज्ञान के साथ इस संविधान को बनाया है।

इसलिए मैं आपको साफ-साफ कहना चाहूंगा कि देश की अखण्डता की रक्षा के लिए यह सदन काम करे। कांग्रेस पार्टी से भी मैं कहूंगा कि आपकी बहुत बड़ी परंपरा रही है और इस नाजुक हालत में आप पांव मत डगमगाइए, हिम्मत के साथ आइए और देश की अखण्डता को जो चुनौती देते हैं उनका मुकाबला कीजिए और सारी शक्ति लगा दीजिए और मैं कहने के लिए तैयार हूँ कि देश की अखण्डता की रक्षा के लिए हमको जो खून देना पड़े हम देने के लिए तैयार हैं ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, we will take up the Constitution (Seventy-fifth)

Amendment Bill, 1991 .. (Interruptions)  
After this is passed, we will take up that. It was decided in the Business Advisory Committee.

[Mr. Chairman in the Chair]

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh) : Mr. Chairman, Sir, this is a very important issue which we have been discussing.

MR. CHAIRMAN : We will take it after this.

Now, we take up the Constitution (Seventy-fifth) Amendment Bill, 1991 and the Representation of the People (Amendment) Bill, 1992. We may take up these together. SHRI M. M. Jacob.

Messages from Lok Sabha

I. THE CONSTITUTION (SEVENTY-FIFTH) AMENDMENT BILL, 1991.

II. THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1992.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : Mr. Chairman, Sir, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Bill seeks to provide for increasing the reservation of seats for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of Tripura by amending Article 32 of the Constitution.

The Bill seeks to provide that the number of seats to be reserved for Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of Tripura should be proportional to their population, as in other States, but the actual number of seats, as per the agreement with the Tripura National Volunteers, will be not less than 20, which is referred to as the number, as on the date of coming into force of the present Amendment, viz. the